रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227409
CG-DL-E-07062021-227409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943
No. 313] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

गृह मंत्रालय

[सीटीसीआर प्रभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सा.का.नि. 391(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ज्येष्ठ निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I भर्ती नियम, 2014, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 को अधिक्रांत करते हुए, जहां तक इसका संबंध लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, गृह मंत्रालय में समूह 'ख' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** --(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अनुसचिवीय संवर्ग समूह 'ख' पद (वरिष्ठ निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-I और लेखाकार) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन**:- ये नियम, इन नियमों में संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** यहाँ इसके साथ संलग्न पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)
(1) वरिष्ठ निजी सचिव	06* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

		(ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के आशुलिपिक ने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-112400/- रु.) में ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित स्थापना या लेखा संबंधी प्रक्रिया में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: - 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष; 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य; 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य।	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के तहत आशुलिपिक संवर्ग के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में स्तर (44900-142400) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्षों की सेवा प्रदान की हो; और (ख) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखते हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी सेवा में हैं उन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: इसी या केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की		

अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) अनुभाग अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक	10* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं ।	लागू नहीं ।	लागू नहीं ।	(क) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के सहायक ने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित स्थापना या लेखा संबंधी प्रक्रिया में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-6 में (35400-112400 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव हो। (i) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखते हों। (ii) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रैडशीट, स्लाइड जनरेशन में कम्प्यूटर प्रवीणता जो कि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी सेवा में हैं उन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: इसी या केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) सहायक	20* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की गई हो।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक- (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विहित कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ख) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अपर श्रेणी लिपिक ने वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रु.) ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित स्थापना या लेखा संबंधी प्रक्रिया में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह: वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी सेवा में हैं उन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: इसी या केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र होंगे।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) आशुलिपिक	27* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या

ग्रेड-I	सकता है	समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	112400 रु.)		आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक छूट दी जा सकेगी) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की गई हो।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक- (क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ख) कम्प्यूटर प्रवीणता प्राप्त हो। कौशल परीक्षण: (i) आशुलिपि गति: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट (ii) श्रुतिलेख : कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिन्दी) टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं।	दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नत द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के आशुलिपिक ग्रेड-II ने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित स्थापना या लेखा संबंधी प्रक्रिया में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के तहत आशुलिपिक संवर्ग के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह: वर्षों की सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी सेवा में हैं उन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: इसी या केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) लेखाकार	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-1,12,400 रु.)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के तहत अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पद धारण किए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में छह: वर्षों की सेवा की हो; और (ख) (i) व्यवस्थित लेखा विभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित की गई परीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा (एसएएस) को उत्तीर्ण किया हो। (ii) जिन्होंने रोकड़ तथा लेखा संबंधी कार्य में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण लिया हो या समतुल्य पाठ्यक्रम कोर्स किया हो तथा रोकड़ लेखा तथा बजट संबंधी कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: इसी या केन्द्रीय सरकार के या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 13(2)/003/2015/एनआईए/(पार्ट)]

आशुतोष अग्निहोत्री, सयुक्त सचिव (सीटीसीआर),

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
[CTCR DIVISION]
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

G.S.R. 391(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Senior Private Secretary and Stenographer Grade-I Recruitment Rules, 2014, the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2014 and the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Accountant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' posts in the National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Ministerial Cadre Group 'B' posts (Senior Private Secretary, Section Officer/Office Superintendent, Assistant, Stenographer Grade-I and Accountant) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.– The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Senior Private Secretary.	06* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 75 per cent. by promotion failing which by deputation; (ii) 25 per cent. by deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Stenographer Grade-I of National Investigation Agency	Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with Union Public

in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and having successfully completed two to four week training in Establishment or Accounts related procedure conducted by National Investigation Agency. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/ absorption : Officers of the Stenographer's cadre under the Central Government or State Governments or Union territories,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (b) possessing a graduate Degree from a recognised University. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Committee (for considering promotion) consisting of:– 1. Inspector General, National Investigation Agency- Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency- Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency- Member.	Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Section Officer/ Office Superintendent.	10* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) 50 per cent. by promotion failing which by deputation; (b) 50 per cent. by deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion:- Assistant of National Investigation Agency in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four week training in establishment or accounts related procedure conducted by National Investigation Agency. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation /absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelors' Degree from a recognised University; and (ii) Computer proficiency in word processing, spread sheet, slide generation to be certified by cadre controlling authority. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency– Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4: Only officers of the Central Government or State Government or Union territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Assistant.	20* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission or competent authority.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential – (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) passed computer proficiency test as prescribed by the Staff Selection Commission. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	(a) 50 per cent. by promotion failing which by deputation; (b) 50 per cent. by deputation/ absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion:- Upper Division Clerk of National Investigation Agency in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in establishment or accounts related procedure conducted by National Investigation Agency. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation /absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of applications. Note 4: Only officers of the Central Government or State Government or Union territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis.	2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency– Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Stenographer Grade-I.	27* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential :- (a) Graduate Degree from a recognised University; and (b) possessing computer proficiency. Skill test: (i) stenography speed: 10 minutes @ 100 words per minute; (ii) transcription: 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi) on computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years.	(i) 50 per cent. by promotion failing which by deputation; (ii) 50 per cent. by deputation/absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Stenographer Grade-II of National Investigation Agency in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in Establishment or Accounts related procedure conducted by National Investigation Agency. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/absorption: Officers of the Stenographer's cadre under the Central Government or State Governments or Union territories,-	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General, National Investigation Agency– Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member. Group 'B' Departmental	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Inspector General, National Investigation Agency– Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5) Accountant.	02* (2021) *Subject to variation dependent of workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation:- Officers under the Central Government or State Government or Union territories, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-5 (Rs. 29200-92300)	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) (i) pass in the Subordinate Accounts Service (SAS) examination conducted by organised accounts department or the Central Government; or (ii) who have undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent course and possessing two years' experience of cash accounts and budget work. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of application.		

[F. No. 13(2)/003/2015/NIA/(Part)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy. (CTCR)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.07 21:35:42 +05'30'